321.6
MOC
2022

# श्री ५ महेन्द्र के नेतृत्व में
# पंचायती प्रजातन्त्र

NS 75

# श्री ५ महेन्द्र के नेतृत्व में पंचायती प्रजातन्त्र

श्री ५ की सरकार, प्रचार-प्रसार मन्त्रालय
प्रचार विभागद्वारा प्रकाशित

पहलीबार– २०,००० प्रति
महाशिवरात्रि, बि. से. २०२२
हिन्दीमें अनुवाद :– दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ

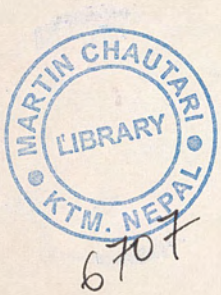

# श्री ५ महेन्द्रके नेतृत्वमें पंचायती प्रजातन्त्र

राष्ट्रनायक श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रद्वारा राष्ट्रियता और राष्ट्रहितको सर्वोपरि रखकर बर्गसंघर्ष बिना दलबिहीन शोषणरहित प्रजातान्त्रिक समाजकी स्थापना करना ही पंचायती व्यवस्थाका लक्ष्य घोषित किया गया है। संसारके किसी भी प्रगतिशील राजनीतिक दर्शन और व्यवस्थाके निचोड़में शोषण-रहित समाजकी सृजना ही अन्तिम बात पाई जाती है। इसकी प्राप्तिके लिए बिभिन्न देशोंने अपने-अपने बिश्वास और परि-स्थितिके अनुसार बिभिन्न रास्ते अपनाए हैं, यह हम देखते हैं। अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किसीने एक ही राजनीतिक दलमें बिश्वास प्रगट किया है तो कोई बहुदलमें निर्भर है। शोषण-रहित समाजकी सृजनाके लिए किसीने बर्गसंघर्ष और रक्तपात ही एक रास्ता कहा है तो दूसरे बर्गने समन्वय और अहिंसाको ही एकमात्र उपाय बताया है। दोनों ही विचारधाराके पक्ष-पातियोंने एक दूसरेपर दोषारोपण करके अनेक त्रुटियोंको दिखाया है, आलोचना-प्रत्यालोचनाद्वारा अपने-अपने तर्कोंको पेश किया है। लेकिन जहाँतक प्रगतिका सवाल है निष्पक्ष होकर देखें तो अपनी स्थितिके अनुसार दोनों ही विचारधाराकी व्यवस्थाएं अपने-अपने देशको प्रगतिकी ओर ले जा रहे हैं, निर्माण और संहारके बैज्ञानिक होड़में बिजयश्री लेनेके लिए

प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पिछड़े, अशिक्षित, अविकसित गरीब देशोंको अपना-अपना अनुमायी बनानेके लिए दोनों ही पक्षों-द्वारा अनेक प्रयास निरन्तर हो रहे हैं!

इस तरहसे आज दो परस्पर-बिरोधी राजनैतिक सिद्धान्तों-की खिंचातानी और होड़से बिश्वमें अनेक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याएं उत्पन्न हुए हैं। छोटे-बड़े सभी राष्ट्र अनेक जटिल समस्याओंसे आपसमें उलझ रहे हैं। राष्ट्रको संचालन कर सकनेवाले दृढ़ नेतृत्वके अभावमें अनेक राष्ट्र गृहकलह और साम्प्रदायिक दंगोंके शिकार होकर देशकी सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता खो रहे हैं। देशके उत्थान और निर्माणके बदले अपना अस्तित्व ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं!

विश्वमें हो रहे इस खिंचातानीका भयानक प्रभाव नेपालमें न पड़ा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन समयमें ही राष्ट्रनायक श्री ५ महेन्द्रने २०१७ साल पौष १ गतेके दिन ऐतिहासिक साहसिक कदम उठाकर इस भयावह परिस्थितिसे नेपाल और नेपालीको बचाया है। और देशके आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितिके अनुकूल पंचायती प्रजातन्त्र देशको दिया है।

## पंचायती प्रजातन्त्र

"राष्ट्रियता और राष्ट्रहितको सर्वोपर मानकर बर्गसंघर्षके बिना दलबिहीन शोषणरहित प्रजातान्त्रिक समाजकी स्थापना करना ही पंचायती प्रजातन्त्रका लक्ष्य है।"

# पंचायती प्रजातन्त्र और श्री ५ महेन्द्रका नेतृत्व

किसी भी व्यवस्थामें, किसी भी राष्ट्रके उत्थानके लिए एक ऐसी निर्भीक निष्पक्ष दृढसंकल्प नेतृत्व और व्यक्तित्वकी आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रहितको सर्वोपर रखकर प्रगतिशील समाजकी स्थापना करनेके लिए समस्त देशवासियोंको राष्ट्रिय एकतामें संगठितकर हाँक सके। नेपाल राष्ट्रका जन्म राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहके नेतृत्वसे हुआ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लानेके लिए २००७ सालकी क्रान्तिमें और उससे पहले किए गए प्रयासमें राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनने नेतृत्व किया, जिसमें राष्ट्रनायक श्री ५ महेन्द्रका सहयोग था। इतिहास साक्षी है, नेपालके निर्माणमें, नेपाल राष्ट्रके संरक्षणमें, नेपालमें आए हुए संकटके क्षणोंमें, राजसंस्थाने ही नेपालका प्रत्यक्ष नेतृत्व दिया है, जिसे नेपाली मात्रने स्वाभाविक रूपसे ग्रहण किया है। नेतृत्व प्रदान करनेवाला नेता बननेके लिए राजसंस्था वा राजाको किसी पार्टी-संगठनकी आवश्यकता नही है। "राजा सवका साझा" वाली कहावतमें हमारे राजा और राजसंस्थामें जो आधारभूत बात है, उससे ही नेपाली मात्रको स्वाभाविक नेतृत्व मिल सकता है। उसके इसी ऐतिहासिक क्रियाकलापसे ही अपने राजा और राजसंस्था प्रति अटल बिश्वास और श्रद्धा है, इसमें नेपाली मात्रको गर्व है। आजकी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमें देशकी सार्व-

भौमिकता, स्वतन्त्रता और राष्ट्रिय एकता अखण्ड रखकर प्रजातान्त्रिक परिपाटीद्वारा देशके आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उत्थान करके शोषणरहित समाजकी स्थापना करना, और किसी नेतृत्वके लिए सम्भव नही हैं।

## पंचायती प्रजातन्त्र और राजनैतिक संगठन

प्रजातन्त्रमें प्रत्येक नागरिकको आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रमें समान हक और स्वतन्त्रताका स्वच्छ तरीकेसे उपभोग कर पाना चाहिए। इसके लिए प्रजातान्त्रिक परिपाटीमें शान्तिपूर्ण तरीकेसे राजनैतिक संगठन करनेका अधिकार, इच्छित व्यवसाय तथा पेशा करनेका अधिकार, अपने-अपने बिश्वास और बिना किसी भेदभावके सामाजिक जीवन बितानेका अधिकार होता है। इन्हीं आधारोंमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कानून, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना एवं अन्य संवैधानिक अंगोंका गठन हुआ होता है। पंचायती प्रजातन्त्र देशके नागरिक प्रत्येक नागरिकके आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक समानता और स्वतन्त्रताकी सुरक्षा करता है, एवं इसने स्वच्छ तरीकेसे इसका उपभोग करनेका प्रत्येक नागरिकका जन्मसिद्ध अधिकार माना है। इसके लिए किसी राजनैतिक दल अथवा बर्गसंघर्षकी आवश्यकता नहीं है, इस बातपर पंचायती प्रजातन्त्र बिश्वास रखता है।

किसी भी नागरिकको अपने विचारोंके अनुसार देशको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्था करनेके लिए राज्य शक्तिकी आवश्यकता होती है। ऐन, कानून एवं योजना बनाने एवं कार्यान्वित करनेके लिए उक्त शक्तिके प्रयोग कर सकनेकी अवस्थामें पहुंचना पड़ता है। इसे प्राप्त करनेका साधन राजनैतिक संगठनको माना गया है। लेकिन, हमारे जैसे अविकसित देशोंके लिए यह माध्यम अहितकर सिद्ध हुआ है। देशके प्रत्येक नागरिकको अपने राजनैतिक स्वतन्त्रताका उपयोग करनेका, प्रजातान्त्रिक समानता और स्वतन्त्रता, होते हुए भी सर्वसाधारण जनताके लिए प्रायः यह दुर्लभ ही सिद्ध हुआ है। किसी भी राजनैतिक संगठनके संचालकके लिए देशकी जनतामें विशाल आर्थिक बोझ पड़नेकी बात दलीय व्यवस्थावाले प्रायः सभी देशोमें सिद्ध हो चुकी है। जो देश अविकसित है, जहाँकी जनता अशिक्षित गरीब है, वहाँ तो इसका रूप और भी विवृत दिखाइ पड़ा है। जिसने सबसे अधिक साधन जुटाया, उसीकी पार्टी बड़ी होने और वही नेता सबसे बड़ा होनेके कारण दलगत स्वार्थमें अन्धभक्ति अधिक है। साधनकी खोजमें पार्टीके नेतागण राष्ट्रहितको भी भुलाकर देशके पूंजीपति और सामन्ती या बाह्यतत्वोंकी कठपुतली बनकर भ्रष्ट हुए हैं, या असफल होकर अकेलेमें पड़ गए हैं। कोई साधारण नागरिक भ्रष्ट हुआ तो सुधारा जा सकता है, अथवा कर्मचारी भ्रष्ट हुआ तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन राजनैतिक व्यक्ति भ्रष्ट हुआ तो देश डूब जायगा, देशका भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। दो बाहुओंके

बलसे देश निर्माण करनेकी अवस्थामें नेपाली जनजीवनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे नेपाल और नेपाली मात्रका हित करनेवाला पार्टी पैदा कर सकें, और उसका सम्पूर्ण आर्थिक बोझ उठा सके। और न तो हमारी अवस्था ही ऐसी है कि दल-बन्दीकी खिचातानीमें समय बरबाद कर सकें। पंचायती प्रजातन्त्रमें राजनैतिक दल न होते हुए भी देशके प्रत्येक नागरिक-का राजनैतिक अधिकार सुरक्षित है। इसमें पार्टीसे अधिक व्यक्तिका स्थान बड़ा है। जन-जनकी चेतना, त्याग, तपस्या, लगनशीलता और जन-जनके रचनात्मक गुण और सृजनात्मक शक्तिमें पंचायती प्रजातन्त्र आधारित है। अपना अमूल्य वोट देनेवाला व्यक्ति पार्टी और झण्डेको नहीं, व्यक्तिको वोट देता है। वोट देते समय उसको जानने का अधिकार है, जिसके पक्षमें उसे अपना मतदान करना है, उसने उसके गांव और उसके स्थानकी कितनी सेवा की है। देशकी व्यवस्थापना करनेवाली सर्वोच्चस्तर राष्ट्रिय पंचायतमें पहुंचकर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक मंचमें अपनी प्रतिभा दिखाने, देशका उत्थान और नव निर्माण करनेके लिए आज किसी भी व्यक्तिको साधन और टिकट की खोजमें किसी पार्टी-नेताके दहलीपर प्रतीक्षा करना नहीं पड़ता। राष्ट्रहितको सर्वोपरि रखकर अपने गांव, अपने जगहपर जाकर इमान्दारीके साथ सेवा करना ही पर्याप्त है। इस तरह पंचायती प्रजातन्त्रमें राजनैतिक दलके प्रभाव और दबावसे नागरिक मुक्त हुआ है। दलीय व्यवस्थामें अनेक राजनैतिक अधिकारका उपभोग करना जितना महंगा और

कठिन है, पंचायती प्रजातन्त्रमें साधारणसे साधारण गरीबका लड़का भी अत्यधिक सरल तरीकेसे अपना राजनैतिक अधिकारका सम्पूर्ण उपभोग कर सकता है।

## पंचायती प्रजातन्त्र और बर्गसंघर्ष

बर्गसंघर्षकी अवस्था उस समय पड़ती है जब देशकी राजनतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रमें किसी एक बर्गबिशेषका आधिपत्य होता है। राज्यशक्तिको अपना हथियार बनाकर आर्थिक शोषण करने लगता है, खुद औरोंसे श्रेष्ठ बन बैठता है, इस बर्गका शोषण और दबाव जब चरम सीमामें पहुंचने लगता है, तब शोषित बर्ग बिद्रोह, रक्तपात और संघर्ष करता है और राज्यशक्तिको अपने हाथमें लेकर आर्थिक साधन और श्रोतोंका खुद मालिक बन बैठता है। लेकिन हमारी स्थिति इससे भिन्न ही है। पंचायती प्रजातन्त्रने देशके सार्वभौमिकताका प्रतीक "राजसंस्था" और "राजा" के ऐतिहासिक तथ्यको स्वीकार किया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राजसंस्थाको ही माना है, जो किसी एक बर्गबिशेषका नहीं, नेपाली मात्रकी सामूहिक अमूल्य निधि है। यहाँ किसी बर्ग या व्यक्तिके हितके लिए राज्यशक्ति संचालन नहीं हो सकता। देशके सभी नागरिक राज्यके आगे समान हैं और प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारका उपभोग करने, अपने व्यक्तित्वके विकास

करनेका समान अवसर पंचायती प्रजातन्त्रमें पाते हैं। २०१७ साल के बाद इस छोटी अवधिमें श्री ५ महेन्द्रके प्रत्यक्ष नेतृत्वने देशकी सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता अखण्ड रखकर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमें जो प्रतिष्ठा हासिल की है, देशको स्वावलम्बी बनानेके लिए भूमी-सुधार जैसा क्रान्विकारी कार्यक्रम दिया है, सामाजिक न्यायके लिए मुलुकी ऐन जैसा क्रान्तिकारी कदम उठाया है, यह बातें केवल कोरी कागजी नारे ही नहीं, ज्वलन्त उदाहरण हैं, हमारे आगे प्रत्यक्ष प्रमाण है।

## पंचायती प्रजातन्त्रमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

देशकी सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, और राष्ट्रिय एकतामें आँच आनेवाली, आघात देनेवाली बातोंमें किसीको भी कोई छूट नहीं है। अच्छी ही बात में भी बिरोधी बलवान होने लगा तो त्राससे दलगत राजनीतिकी ही तरह कोरे नारेबाजी और ध्वंसात्मक रास्ता अपनाने जैसी प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं मान सकते। व्यक्ति-व्यक्तिमें विद्यमान रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तिको निष्क्रिय नरखकर देशकी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उत्थानमें लगाना ही पंचायती प्रजातन्त्रका मूलभूत आधार है। देशके प्रशासनिक कार्य और देश उत्थानके छोटे-बड़े सभी योजनाओंमें केवल चुनावमें बिजय प्राप्त किए हुए राजनैतिक दलके नेता और कुछ कर्म-

चारियोंके ही सहारेमें नरहकर ग्रामस्तरसे लेकर राष्ट्रिय स्तरतक सम्पूर्ण नागरिकोंको शरीक और सक्रिय करानेके लिए प्रशासनका बिकेन्द्रीकरण और आर्थिक बिकेन्द्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमोंको अपनाया गया है। पंचायती प्रजातन्त्रमें अपने व्यक्तित्वका विकास करने, अपने रुचि अनुसार व्यवसायमें लगने, एवं पेशा अपनाने, विचारक होकर किसी रूपमें केवल विचार व्यक्त करनाही नहीं, अपने में रहे रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तिको गांव स्तरसे राष्ट्रिय स्तरतक पहुंचाकर राष्ट्र उत्थानमें लगानेकी हरेक व्यक्तिको स्वतत्त्रता है। इसके लिए गांव पंचायत, जिल्ला पंचायत, अंचल पंचायत, राष्ट्रिय पंचायत और मंत्री परिषद्का गठन किया गया है। साथ ही बिभिन्न बर्गीय संगठनोंका संगठन किया गया है और उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय पंचायतमें भी किया गया है।

## पंचायती प्रजातन्त्रमें विभिन्न बर्गीय संगठनोंका स्थान

**किसान संगठन :**—देशकी अर्थव्यवस्था आज कृषिमें ही निर्भर है। जबतक हम कृषि उत्पादन नहीं बढा सकते तबतक देशकी आर्थिक अवस्था सुदृढ नहीं हो सकती और कृषक बर्गोंका जीवनस्तर भी उपर नहीं उठ सकता। आजकी कृषि समस्या बड़े-बड़े भूमीपतियोंसे संघर्ष करने का नहीं है, अधिक उत्पादन कैसे किया जाय, यह समस्या है। किसानके हितके

लिए भूमी-सुधार जैसे क्रान्तिकारी कार्यक्रमोंको अपनाया गया है। किसान संगठन को अपने बर्गके लिए राष्ट्रिय चेतना देनेके साथ ही साथ उसके हितके लिए बने कार्यक्रमोंको कार्यान्वित करनेके लिए सक्रिय होना है। "अधिक अनाज उब्जाओ" जैसे कार्यक्रमोंमे किसानोंको जागरूक बनाना है। देशके नवनिर्माणमें किसान बर्गको संगठित और सक्रिय बनाना है।

**युवक संगठन :**—देशकी युवा शक्तिमें ही देशकी शक्ति वर्तमान होती है। देशकी शान्ति-सुरक्षा और विकास युवकों पर ही निर्भर है। चाहे वह किसानका लड़का हो, चाहे देशके प्रशासन या पुलिस और सेनाका जवान हो अथवा किसी अन्य बर्ग और पेशेंमे रहा युवक हो, ये ही देश देशकी वर्तमान शक्ति हैं इन्हींकी गतिमें देशकी गति है, इन्हींके पसीनेसे देश फलता-फूलता है। आज किसानके लड़केको अधिक उत्पादनमें कमर कसना है, तो प्रशासनमें रहे युवकको इमान्दार होकर राष्ट्रसेवा करना है, भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक कांटेको फेंकना है। पंचायती प्रजातन्त्रमें युवक संगठनको चाहिए कि वह देशके युवक बर्गको देशकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिबिधिसे पूर्णतया परिचित करके राष्ट्रिय चेतना लाकर, अनुशासित और संगठित बनाकर युवक-शक्तिको देशकी शान्ति-सुरक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माणमें लगाए।

**महिला संगठन :**—हिन्दू समाजने नारीको हमेशा सम्मानकी दृष्टिसे देखा है। देवी और शक्तिके रूपमें नारीकी पूजा करता आया है। नारी जातिका उत्थान करके आदर्श

नारीका रूप देनेके अलावा पुरुषोंके कंधेमे कंधा मिलाकर नारी जातिको देशहितके कामों में महिला संगठन सक्रिय बनायेगा।

**भूतपूर्व सैनिक संगठन :**—अनुशासन और राष्ट्र के प्रति वफ़ादार रहनेका आदर्श कायम रखकर देशकी शान्ति-सुरक्षा और विकास कार्योंमें सक्रिय भाग लेनेके साथही साथ भूतपूर्व सैनिकोंके हित के लिए काम करेगा।

**मज़दूर संगठन :**—देशके नवोदित उद्योगोंका विकास हमारे आवश्यकताकी पूर्तिके लिए बड़े परिश्रमके साथ औद्योगिकरणकी ओर बढता है। ऐसी अवस्थामें देशके औद्योगिक उत्पादनको बढाकर आर्थिक उत्थान करनेके लिए मज़दूर बर्गके कन्धेमे बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पंचायती प्रजातन्त्रमें मज़दूर संगठनद्वारा मज़दूर बर्गकी एकता कायम रखकर कानूनद्वारा उसका हित और समुचित लाभकी संरक्षा की जायगी।

**विद्यार्थी संगठन :**—पंचायती प्रजातन्त्रने देशके भविष्यके निर्माणके लिए विद्यार्थी बर्गकी ओर अत्यधिक आशावादी दृष्टिसे देखा है। कोरे नारेबाजीसे ही देशका उत्थान नहीं हो सकता, यह सिद्ध है। राष्ट्रके सर्वांगीण विकासके लिए देशको बड़े-बड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, बिभिन्न बिषयके विद्वानोंकी आवश्यकता है। जहाँ तक इस अभावकी पूर्ति नहीं कर सकते तबतक देशका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आज शिक्षाके क्षेत्रमें जन-जागृति आइ है, लेकिन शिक्षक नहीं हैं, देशमें हो रहे विकास कार्योंके लिए इन्जीनियर ओभरसियर नहीं हैं, कहीं

अस्पताल हैं डाक्टर नहीं हैं, इस तरह विकासोन्मुख देशको अनेक क्षेत्रमें कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा है। इसी लिए आजके विद्यार्थी बर्गके उपर ही देशका भबिष्य निर्भर है। पंचायती प्रजातन्त्र विद्यार्थी बर्गको सक्रिय राजनीतिसे अलग रख, योग्य बनाकर देशकी बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति करना चाहता है, विद्यार्थी एकता कायम रखकर विद्यार्थी संगठनको मज़बूत बनाकर विद्यार्थियोंकी रचनात्मक शक्तिको राष्ट्र उत्थानमें लगाना है।

06707

MARTIN CHAUTARI
LIBRARY
KTM. NEPAL
6707